रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-05112022-240066 CG-DL-E-05112022-240066

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4937] No. 4937] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 4, 2022/कार्तिक 13, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 4, 2022/KARTIKA 13, 1944

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2022

का.आ. 5156(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 863 (अ), दिनांक 01 अप्रैल 2013 द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-53 (पुराना एनएच-6) के 166.725 कि.मी. से 649.000 कि.मी. (अमरावती-गुजरात/महाराष्ट्र सीमा खंड) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा जाए) को सौंपा है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, समय-समय पर संशोधित (जिसे इसके पश्चात "नियम" कहा जाए), के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-53 (पुराना एनएच-6) के फाग्ने से महाराष्ट्र-गुजरात सीमा खंड के डिज़ाइन कि.मी. 510.000 से कि.मी. 650.794 (विद्यमान किमी 508.790 से किमी 649.000) सड़क खंड की निवल लंबाई 105.930 कि.मी. और 19.160 कि.मी (जिनकी लंबाई 1.916 किमी है) लंबाई की समकक्ष संरचना (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) के लिए यांत्रिक वाहनो पर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दरों का 100% और बाईपास जिनकी लंबाई 32.948 किमी है, और लागत दस करोड़ या उससे अधिक है, के उपयोग हेतु सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों पर 150% की आधार दर से शुल्क उद्गहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:—

7351 GI/2022 (1)

सारणी 1		
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति	
	कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)	
(1)	(2)	
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65	
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05	
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20	
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40	
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम॰) या अर्थ मूर्विंग उपस्कर (ई.एम.ई) या	3.45	
बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)		
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले )	4.20	

1. नीचे लिया जाने वाला एवं संग्रहीत किया जाने वाला शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए उल्लिखित सड़क की निवल लम्बाई हेतु देय और भुगतान होगाः

	सारणी-2	
शुल्क प्लाजा का स्थान जरीब दूरी (चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क भुगतान योग्य है	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
महाराष्ट्र राज्य के धुले जिले में इच्छापुर गांव के निकट एनएच-53 के 564.360 डिजाइन किमी पर	41.083 [10 करोड से अधिक की लागत के बाईपास और 60 मी. से अधिक लंबाई की संरचना को छोड़कर]	चार और अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
महाराष्ट्र राज्य के नांदुरबार जिले में बरदीपाडा गांव के निकट एनएच-53 के 620.560 डिजाइन किमी पर	64.847 [10 करोड से अधिक की लागत के बाईपास और 60 मी. से अधिक लंबाई की संरचना को छोड़कर]	चार और अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाईपास जिनकी लागत 10 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले बाईपास के उपयोग हेतु ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए उल्लिखत बाईपास की निवल लम्बाई हेतु निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर निम्नलिखित शुल्क देय और भुगतान योग्य होगा:

		स	ारणी – 3			
शुल्क प्लाजा का स्थान जरीब दूरी (चैनेज)	बाईपास का नाम	आरंभ होते हुए	विलय स्थान	और ला	<u> </u>	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
महाराष्ट्र राज्य के धुले जिले में इच्छापुर गांव के निकट एनएच-53 के 564.360 डिजाइन किमी पर	एनएच-53 के धुले एंड फाग्ने बाईपास	डिजाइन कि.मी. 513.960	डिजाइन कि.मी. 531.560	17.467	318.76	चार और अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%

	एनएच-53 का कुसुम्बे बाईपास	डिजाइन कि.मी. 543.260	डिजाइन कि.मी. 546.760	3.428	53.46	चार और अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
	एनएच-53 का शेवाली एंड साकरी बाईपास	डिजाइन कि.मी. 572.660	डिजाइन कि.मी. 581.560	8.756	84.46	चार और अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
महाराष्ट्र राज्य के नांदुरबार जिले में बरदीपाडा गांव के निकट एनएच-53 के 620.560 डिजाइन किमी पर	एनएच-53 का चिंचपाडा बाईपास	डिजाइन कि.मी. 628.048	डिजाइन कि.मी. 631.548	3.297	30.22	चार और अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बुनियादी ढांचों, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी बुनियादी ढांचों की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी देय और भुगतान योग्य होगाः

	सारणी – 4				
शुल्क प्लाजा का स्थान जरीब दूरी (चैनेज)	सड़क की लम्बाई के समान परिवर्तित बुनियादी ढांचे की लम्बाई (कि.मी. में)		दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है		
महाराष्ट्र राज्य के धुले जिले में इच्छापुर गांव के निकट एनएच- 53 के 564.360 डिजाइन किमी पर	0.826^	8.260	चार और अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%		
महाराष्ट्र राज्य के नांदुरबार जिले में बरदीपाडा गांव के निकट एनएच-53 के 620.560 डिजाइन किमी पर	1.090^^	10.900	चार और अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%		

## ^ब्योरा इस प्रकार है:

क्रम सं.	मध्य जरीब दूरी (चैनेज)	ढांचे का प्रकार	लंबाई (किमी में)
1	518.582	बडा पुल	0.063

2	524.103	इंटरचेंज	0.070
3	539.513	बडा पुल	0.061
4	545.490	बडा पुल	0.072
5	547.091	बडा पुल	0.063
6	547.344	बडा पुल	0.120
7	556.660	बडा पुल	0.233
8	573.932	बडा पुल	0.072
9	581.250	बडा पुल	0.072
	कुल		

### ^^ब्योरा इस प्रकार है:

क्रम सं.	मध्य जरीब दूरी (चैनेज)	ढांचे का प्रकार	लंबाई (किमी में)
1	605.464	वायडक्ट	0.120
2	630.832	आरओबी	0.203
3	640.549	आरओबी	0.101
4	643.446	बडा पुल	0.600
5	646.274	बडा पुल	0.066
		कुल	1.090

- 4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता/रहती हो, उसके लिए वर्ष 2022-23 के लिए मासिक पास की दर 315.00/-रूपए (तीन सौ पंद्रह रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।
- 5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्ः

देय राशि	अनुमत्ये एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैद्यता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

- 6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है उसमें पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परिमट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।
- 7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली के नियम 10 के उप नियम 1ए में उल्लिखित शुल्क के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमित नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

- 8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस सडक, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में उल्लिखित परिभाषाओं के अनसार होंगी।
- 9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दर प्रदर्शित किया जाएगा।
- 10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रित किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
- 11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 1502.85 करोड़ रुपए है। पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. (एनएचएआई/13013/सीओ/22-23/शुल्क अधिसूचना/फाग्ने से महाराष्ट्र-गुजरात सीमा खंड) (कि.मी. 510-कि.मी.650.794 तक) पीएफ ]

महमूद अहमद, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2022

S.O. 5156(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 863(E) dated 01st April 2013 issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Km. 166.725 to Km. 649.000 (Amravati–Gujrat/Maharashtra Border Section) of National Highway number 53 (Old NH No 6) in the State of Maharashtra to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority")

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the "rules"), , the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at the 100% of rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 105.930 km and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 19.160 km (having structure length 1.916 km) and at one and one half times the base rate for bypasses having length of 32.948 km costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the use of Four lane of Fagne to Mah-Guj Border Section from design Km. 510.000 to Km. 650.794 (existing Km. 508.790 tom Km. 649.000) of National Highway number 53 (Old NH No 6) in the State of Maharashtra and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:—

Table-1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40

Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1 . The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely:—

Table-2			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable	
At Design Km 564.360 of NH-53 near Icchapur village in Dhule district of Maharashtra.	41.083 [Excluding length of Bypass (Costing >10 Cr.) and length of Structure (>60m)]	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above	
At Design Km 620.560 of NH-53 near Bardipada village in Nandurbar district of Maharashtra.	64.847 [Excluding length of Bypass (Costing >10 Cr.) and length of Structure (>60m)]	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above	

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza:—

Table-3								
Location of Fee Plaza	Name of the Bypass	Taking Off		Merging at		Length and Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
(chainage)						Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
of NH-53 near Icchapur	Dhule & Fagne Bypassof NH – 53	Design	km 513.960	Design	km 531.560	17.467	318.76	150% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
of Maharashtra.	Kusumbe Bypassof NH – 53	Design	km 543.260	Design	km 546.760	3.428	53.46	150% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
	NH – 53	Design	km 572.660	Design	km 581.560	8.756	84.46	150% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
		Design	km 628.048	Design	km 631.548	3.297	30.22	150% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10:—

Table-4				
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent Road Length	Equivalent road length (in kms)	Rate at which fee is payable	
At Design Km 564.360 of NH- 53 near Icchapur village in Dhule district of Maharashtra.	0.826^	8.260	100% for four and more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above	
At Design Km 620.560 of NH- 53 near Bardipada village in Nandurbar district of Maharashtra.	1.090^^	10.900	100% for four and more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above	

<sup>^</sup>The details are as under:-

Sr No.	Mid Chainage	Type of Structure	Length (in km)
1	518.582	Major Bridge	0.063
2	524.103	Interchange	0.070
3	539.513	Major Bridge	0.061
4	545.490	Major Bridge	0.072
5	547.091	Major Bridge	0.063
6	547.344	Major Bridge	0.120
7	556.660	Major Bridge	0.233
8	573.932	Major Bridge	0.072
9	581.250	Major Bridge	0.072
		Total	0.826

<sup>^^</sup>The details are as under:—

Sr No.	Mid Chainage	Type of Structure	(Length (in km)
1	605.464	Viaduct	0.120
2	630.832	ROB	0.203
3	640.549	ROB	0.101
4	643.446	Major Bridge	0.600
5	646.274	Major Bridge	0.066
		Total	1.090

<sup>4.</sup> The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs 315 (Three hundred And Fifteen Only) for the year 2022-23 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:—

Table-5				
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity		
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment		
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment		

- 6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.
- 7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
- 8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.
- 9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.
- 10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.
- 11. The estimated capital cost of the project is Rupees 1502.85 crore. [The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately]. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/CO/22-23/Fee Notification/Fagne to Mah-Guj Border Section(km510-km650.794)PF] MEHMOOD AHMED, Jt. Secy.